Tendre Sanction Note 935

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

सहायक अभियन्ता–तकनीकी/मुख्य अभियन्ता

कार्य का नाम:	:	6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड़ का टी0ओ0डी0 आधार पर निर्माण एवं विकास का कार्य।
स्वीकृत परियोजना लागत	:	रू० 1147.609 करोड़
स्वीकृत निर्माण लागत धनांक	:	रू0 876.37 करोड़
बी०ओ०क्यू० धनांक	:	रू० 876.37 करोड़
निविदा आमंत्रण दिनाँक	:	10.07.2014
प्राप्त कुल निविदाएं	:	03
सर्वनिम्न निविदादाता	:	मै0 नवयुगा इन्जीनियरिंग कं0लि0
सर्वनिम्न निविदा धनांक	:	रू० 916.92 करोड़ (बी०ओ०क्यू० धनांक से 4.63 प्रतिशत उच्च)
न्यायोचित लागत धनांक	:	रू० 922.82 करोड़
न्यूनतम निविदा की स्थिति	:	न्यायोचित लागत से 0.64 प्रतिशत निम्न

कृपया उपर्युक्त कार्य के लिए पूर्व पृष्ठ सं0–204 पर अधिशासी अभियन्ता जोन–04 की अनुशंसा का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त कार्य का परियोजना व्यय रू० 1147.609 करोड़ की स्वीकृति पृष्ठ सं0–120 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.05.2014 को प्रदान की गई है। पत्रावली के पृष्ठ सं0–120 पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति धनांक रू0 876,37,69,785.63 मात्र दिनांक 22.05.2014 के अर्न्तगत 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड़ के निर्माण एवं विकास कार्य की भारत सरकार के परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आधीन ई0पी0सी0 मोड तथा उनके द्वारा जारी मानक ई0पी0सी0 ड्राफ्ट ऐग्रीमेन्ट, आर0एफ0क्यू0 तथा आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट के आधार पर निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन प्राधिकरण वैबसाईट, अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं हिन्दुस्तान टाईम्स समाचार पत्रों में दिनांक 27.05.2014 को कराते हुए दिनांक 10.07.2014 को निविदाएं आमंत्रित की गई, कार्य हेतु 03 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अर्हता प्राप्त तीनों निविदाताओं की तकनीकी बिड की स्वीकृति एवं प्राईज बिड खोले जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नोट पृष्ठ सं0–193 पर दिनांक 17.07.2014 को प्रदान की गयी है, जिसके कम में दिनांक 18.07.2014 को को निविदा समिति द्वारा प्राईज बिड खोली गयी, जिनमें से प्राप्त 03 निविदाओं मे सर्वनिम्न निविदा मै0 नवयुगा इन्जीनियरिंग कं0लि0 की धनांक रू० 916.92 करोड़ की प्राप्त हुई, जो बी०ओ०क्यू० धनराशि से 4.63 प्रतिशत उच्च है।

अभियन्त्रण खण्ड द्वारा कार्य का जस्टीफिकेशन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया गया है :–

1. लोक निर्माण विभाग का SOR-2014 को आधार मानते हुए मुख्य रूप से सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड, चूना तथा लैबर की दर एवं आई0ओ0सी0 से दिनांक 01.07.2014 को जारी बिटुमिन/इमेल्शन की दरों को विश्लेषित किये गये मदों में सम्मिलित कर मदों का विश्लेषण किया गया है। अवगत कराना है कि निविदा दिनांक 10.07.2014 को आमंत्रित की गयी थी तथा लोक निर्माण विभाग का SOR-2014 दिनांक 11.07.2014 से लागू किया गया है। जिसे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 31.07.2014 से प्राधिकरण में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में इसके आधार पर न्यायोचित लागत की गणना की जाय अथवा नही के सम्बन्ध में यह संशय की स्थिति है कि क्या उपरोक्त प्रश्नगत निविदा की न्यायोचित लागत का आंकलन करते हुए SOR-2013 की दरों को लिया जाय ? अथवा SOR-2014 की दरों के आधार पर न्यायोचित लागत की गणना की जाय। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में दिनांक 12.08.2014 को बैठक आहुत की गयी। बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियों एवं

पी0डब्ल्यू0डी0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, के निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री रवीन्द्र गोडबोले, सचिव, गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद।
2. श्री टी0 आर0 यादव, वित्त नियन्त्रक, गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद।
3. श्री वी0 के0 गोयल, मुख्य अभियन्ता, गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद।
4. श्री सुधांशु कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0, गाजियाबाद।
5. श्री ए0 के0 बंसल, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
6. श्री अवधेश भदौरिया, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, गाजियाबाद।
7. श्री ज्ञान गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।
8. श्री एस0सी0 राय, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
9. श्री चक्रेश जैन, अधिशासी अभियन्ता, गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद।

उक्त के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा SOR को तभी पुनरीक्षित किया जाता है जब बाजार में सामग्री व लेबर आदि की दरें पूर्व SOR से बढ़ चुकी होती हैं। अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में दिनांक 15.04.2013 से लागू हुए SOR-2013 के सापेक्ष बाजार दरें बढ जाने के कारण अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर विभिन्न विभागों की दिनांक 23.06.14 को बैठक आयोजित कर SOR-2013 की दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया था तथा इसी क्रम में बाजार दरों में वृद्धि होने के कारण SOR-2013 की दरों को पुनरीक्षित करते हुए SOR-2014, दिनांक 11.07.2014 से प्रभावी किया गया है। अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अनुसार चूंकि SOR-2014 में ली गयी दरें विभिन्न विभागों के साथ आहूत बैठक दिनांक 23.06.2014 के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है अतः 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड हेतु दिनांक 10.07.2014 को आमंत्रित निविदा की न्यायोचित लागत की गणना में दिनांक 11.07.2014 से लागू SOR-2014 की दरों को ही लिया जाना पूर्णतः औचित्यपूर्ण माना गया है। अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त मत पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। जिसके आधार पर SOR-2014 की दरों को न्यायोचित लागत की गणना में लिये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.08.2014 को पृष्ठ सं0-203 पर प्राप्त की गयी। कार्यवृत्त पत्रावली के दांयी ओर पृष्ठ सं0-131 व 132 पर संलग्न है।

2. निविदा आमंत्रण के दौरान हिण्डन एलीवेटेड रोड के एलाइन्मेंट में दिलशाद गार्डन से नये बस अड्डे तक प्रस्तावित मेट्रो रेल का भारत सरकार से स्वीकृत हो गया तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर हुआ है। जिस क्रम में मेट्रो लाईन के ऊपर से प्रश्नगत 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड के निर्माण की पत्रावली भाग सं0-2 के पृष्ठ सं0 173 से 174 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.7.2014 को प्रदत्त प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए एलीवेटेड रोड़ के प्रोफाईल में उपरोक्त परिवर्तन एवं शर्तों को प्राधिकरण की वैबसाईट पर दिनांक 05.07.2014 को अपलोड किया गया। तदक्रम में ही निविदाताओं द्वारा दिनांक 10.7.2014 को अपनी निविदाओं की दरें दी गयी हैं। प्रोफाईल परिवर्तन के कारण कार्य के कन्सलटैन्ट मैसर्स होलटैक कन्सलटिंग प्रा0 लि0 द्वारा पत्र सं0 12552 दिनांक 22.07.14 द्वारा अतिरिक्त व्यय धनराशि का आकलन दिया है। जिसमें कार्य की अतिरिक्त लागत रु0 30,42,73,549.21 मात्र आंकलित की गयी है। कन्सलटैन्ट मैसर्स होलटैक कन्सलटिंग प्रा0 लि0 द्वारा प्रोफाईल परिवर्तन के कारण बढ़ी हुई मदों की मात्राओं में बिन्दु सं0-1 के अनुसार विश्लेषित दरों का प्रयोग कर लागत आंकलित कर न्यायोचित लागत में सम्मिलित किया गया है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

3. टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-ए-I-1173/दस-2001-10(55)/2000 दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के बिन्दु सं0-5 पर निर्देशित किया गया है कि सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टैक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे। (छायाप्रति दांयी ओर पृष्ठ सं0-128 व 129 पर संलग्न है।)
4. निर्माण लागत में 1 प्रतिशत लैबरसैस सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्य की न्यायोचित लागत की गणना अभियन्त्रण जोन द्वारा की गयी है, जिसके अनुसार कार्य की न्यायोचित लागत धनांक रु0 9,22,82,87,088.88 मात्र आती है। इस प्रकार कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में सर्व निम्न निविदादाता मैसर्स नवयुगा इन्जीनियरिंग कं0 लि0 की सर्व निम्न निविदा धनांक रु0 916,92,00,000.00 (नौ सौ सोलह करोड बानवे लाख) मात्र उपरोक्त न्यायोचित लागत से 0.64 प्रतिशत निम्न रह जाती है। गणना की जांच कर ली गयी है। 01 प्रतिशत लेबर सैस की कटौती ठेकेदार के देयकों से की जानी प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार नोट पृष्ठ संख्या-204 पर अधिशासी अभियन्ता जोन-04 की अनुशंसा के क्रम में उपरोक्त कार्य हेतु सर्वनिम्न निविदादाता मैसर्स नवयुगा इंजी0 कं0 लि0 की निविदा धनांक रु0 916,92,00,000.00 (रूपये नौ सौ सोलह करोड बानवे लाख) मात्र जो बी0ओ0क्यू0 धनांक से 4.63 प्रतिशत उच्च तथा न्यायोचित धनराशि से 0.64 प्रतिशत निम्न है, की स्वीकृति हेतु निविदा समिति के समक्ष विचारार्थ रखने की अनुमति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

16.08.14
(उमेश श्रीवास्तव)
अवर अभियन्ता-तकनीकी

16/08/14
P(ACT)

समिति मे रखे।

16/8/14
वी0 के0 गोयल
मुख्य अभियन्ता

-208-

उपाध्यक्ष

कृपया 6–लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड़ का टी0ओ0डी0 आधार पर निर्माण एवं विकास के कार्य पर निविदा समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया। उपरोक्त कार्य का व्ययानुमान रू० 1147.609 करोड़ की स्वीकृति पृष्ठ सं0–120 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.05.2014 को प्रदान की गई है। पत्रावली के पृष्ठ सं0–120 पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति धनांक रू0 876,37,69,785.63 मात्र दिनांक 22.05.2014 के अर्न्तगत 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड़ के निर्माण एवं विकास कार्य की भारत सरकार के परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आधीन ई0पी0सी0 मोड तथा उनके द्वारा जारी मानक ई0पी0सी0 ड्राफ्ट ऐग्रीमेन्ट, आर0एफ0क्यू0 तथा आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट के आधार पर निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन प्राधिकरण वैबसाईट, अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं हिन्दुस्तान टाईम्स समाचार पत्रों में दिनांक 27.05.2014 को कराते हुए दिनांक 10.07.2014 को निविदाएं आमंत्रित की गई, कार्य हेतु 03 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अर्हता प्राप्त तीनों निविदाताओं की तकनीकी बिड की स्वीकृति एवं प्राईज बिड खोले जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नोट पृष्ठ सं0–193 पर दिनांक 17.07.2014 को प्रदान की गयी है, जिसके कम में दिनांक 18.07.2014 को को निविदा समिति द्वारा प्राईज बिड खोली गयी, जिनमें से प्राप्त 03 निविदाओं मे सर्वनिम्न निविदा मै0 नवयुगा इन्जीनियरिंग कं0लि0 की धनांक रू० 916.92 करोड़ की प्राप्त हुई, जो बी०ओ०क्यू० धनराशि से 4.63 प्रतिशत उच्च है।

अभियन्त्रण खण्ड द्वारा कार्य का जस्टीफिकेशन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया गया है :–

1. लोक निर्माण विभाग का SOR-2014 को आधार मानते हुए मुख्य रूप से सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड, चूना तथा लैबर की दर एवं आई0ओ0सी0 से दिनांक 01.07.2014 को जारी बिटुमिन/इमैल्शन की दरों को विश्लेषित किये गये मदों में सम्मिलित कर मदों का विश्लेषण किया गया है। अवर अभियन्ता–तकनीकी/सहायक अभियन्ता–तकनीकी की पूर्व पृष्ठ पर अंकित आख्यानुसार SOR-2014 की दरों के आधार पर न्यायोचित लागत की गणना में सम्मिलित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में दिनांक 12.08.2014 को बैठक आहुत की गयी। बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियों एवं पी0डब्ल्यू0डी0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा SOR-2014 को लागू किये जाने के मत पर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। जिसके आधार पर SOR-2014 की दरों को न्यायोचित लागत की गणना में लिये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.08.2014 को पृष्ठ सं0–203 पर प्राप्त की गयी। कार्यवृत्त पत्रावली के दांयी ओर पृष्ठ सं0–131 व 132 पर संलग्न है।
2. निविदा आमंत्रण के दौरान हिण्डन एलीवेटेड रोड के एलाइन्मेट में दिलशाद गार्डन से नये बस अड्डे तक प्रस्तावित मेट्रो रैल का भारत सरकार से स्वीकृत हो गया तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर हुआ है। जिस क्रम में मेट्रो लाईन के ऊपर से प्रश्नगत 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड के निर्माण की पत्रावली भाग सं0–2 के पृष्ठ सं0 173 से 174 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.7.2014 को प्रदत्त प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए एलीवेटेड रोड़ के प्रोफाईल में उपरोक्त परिवर्तन एवं शर्तों को प्राधिकरण की वैबसाईट पर दिनांक 05.07.2014 को अपलोड किया गया। तदक्रम में ही निविदाताओं द्वारा दिनांक 10.7.2014 को अपनी निविदाओं की दरें दी गयी हैं। प्रोफाईल परिवर्तन के कारण कार्य के कन्सलटैन्ट मैसर्स होलटैक कन्सलटिंग प्रा0 लि0 द्वारा पत्र सं0 12562 दिनांक 22.07.14 द्वारा अतिरिक्त व्यय धनराशि का प्राकलन दिया है। जिसमें कार्य की अतिरिक्त लागत रु0 30,42,73,549.21 मात्र आंकलित की गयी है। कन्सलटैन्ट मैसर्स होलटैक कन्सलटिंग प्रा0 लि0 द्वारा प्रोफाईल परिवर्तन के कारण बढ़ी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

हुई मदों की मात्राओं में बिन्दु सं0–1 के अनुसार विश्लेषित दरों का प्रयोग कर लागत आंकलित कर न्यायोचित लागत में सम्मिलित किया गया है।

3. टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–ए–।–1173/दस–2001–10(55)/2000 दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के बिन्दु सं0–5 पर निर्देशित किया गया है कि सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टैक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे। (छायाप्रति दांयी ओर पृष्ठ सं0–128 व 129 पर संलग्न है।)
4. निर्माण लागत में 1 प्रतिशत लैबरसैस सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्य की न्यायोचित लागत की गणना अभियन्त्रण जोन द्वारा की गयी है, जिसके अनुसार कार्य की न्यायोचित लागत धनांक रु0 9,22,82,87,088.88 मात्र आती है। इस प्रकार कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में सर्व निम्न निविदादाता मैसर्स नवयुगा इन्जीनियरिंग कं0 लि0 की सर्व निम्न निविदा धनांक रु0 916,92,00,000.00 (नौ सौ सोलह करोड बानवे लाख) मात्र उपरोक्त न्यायोचित लागत से 0.64 प्रतिशत निम्न रह जाती है। गणना की जांच अवर अभियन्ता–तकनीकी एवं सहायक अभियन्ता–तकनीकी द्वारा कर ली गई है। 01 प्रतिशत लेबर सैस की कटौती ठेकेदार के देयकों से की जानी प्रस्तावित है।

अतः पूर्व नोट पृष्ठ संख्या–204 पर अधिशासी अभियन्ता जोन–04 की अनुशंसा व नोट पृष्ठ संख्या–207 पर सहायक अभियन्ता–तकनीकी की आख्या के क्रम में उपरोक्त कार्य हेतु सर्वनिम्न निविदादाता मैसर्स नवयुगा इंजी0 कं0 लि0 की निविदा धनांक रू0 916,92,00,000.00 (रूपये नौ सौ सोलह करोड बानवे लाख) मात्र जो बी0ओ0क्यू0 धनांक से 4.63 प्रतिशत उच्च तथा न्यायोचित धनराशि से 0.64 प्रतिशत निम्न है, की स्वीकृति हेतु निविदा समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

(संजय जिन्दल) सहायक अभियन्ता–तकनीकी सदस्य संयोजक	19/8/14 (चक्रेश जैन) अधिशासी अभियन्ता जोन–04	(वी0के0 गोयल) मुख्य अभियन्ता	(टी०आर० यादव) वित्त नियन्त्रक

VC Sir,

9/08/14
एस०वी०एस० रंगाराव
I.A.S.
विशेष कार्याधिकारी
जी०डी०ए०

20/8/14

(47)

1

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 139वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 30–01–2014 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 139वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 30–01–2014 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों / सदस्यों द्वारा भाग लिया गया::--

1– श्री संतोष कुमार यादव, अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

2– श्री संतोष कुमार यादव, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

3– श्री एस0वी0एस0 रंगा राव, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।

4– श्री डी0सी0गुप्ता, संयुक्त नियोजक, मेरठ–प्रतिनिधि –,मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ.प्र. लखनऊ ।

5– श्री पारसनाथ सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मंडल, मेरठ–प्रतिनिधि विशेष सचिव, वित्त , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

6– श्री आर0के0 सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद ।

7– श्री योगेन्द्र कुमार जैन, अधीक्षण अभियन्ता,, उ.प्र. जल निगम, गाजियाबाद–प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि ।

8– श्री राकेश यादव, सलाहकार, ग्रामीण अभियन्त्रण [illegible] (मा0 राज्य मंत्री) / गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।

9– श्री ए0के0 त्यागी, सहायक नियोजक, प्रतिनिधि– चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद ।

10– श्री राम किशोर अग्रवाल, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

11– श्री धर्मवीर डबास, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

12– श्री नरसिंह प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, आवास विकास परिषद, गाजियाबाद प्रतिनिधि–, संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन– विशेष आमंत्री ।

13– श्री अनिल स्वामी, सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

14– श्री ओम त्यागी,, सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

15– श्री सिंह राज, सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम प्राधिकरण बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य श्री राकेश यादव जिन्हे हाल ही में उ0प्र0 सरकार द्वारा सलाहकार, ग्रामीण अभियन्त्रण (मा0 राज्य मंत्री) नामित किया गया है, का स्वागत किया गया। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते

True Copy

चक्रेश जैन
अधिशासी अभियन्ता

... महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर ... विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
1/139	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 07–11–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 07–11–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।
2/139	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 07–11–2013 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 07–11–2013 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।
3/139	अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1985 सपठित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली 1962 को अंगीकार किये जाने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण होने तक उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली लागू नही हो जाती तब तक सपठित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली 1962 (यथासंशोधित) को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।
4/139	प्राधिकरण में कार्यरत 10 कनिष्ठ लिपिक व 3 चपरासी अस्थायी संवर्ग पदों को स्थायी किये जाने एवं समयमान वेतनमान व पदोन्नति किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
5/139	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लोहियानगर में किराये की सम्पत्तियों को कय किये जाने हेतु किरायेदार द्वारा सहमति दिये जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत की	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

True Copy

मुकेश जैन
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद ...

	[illegible] जाने की तिथि तक का किराया [illegible] के संबंध में ।	
6/139	[illegible] पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के अनुरोध के कम में पॉच बुलेरो कय कर उपलब्ध कराने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।
7/139	नीलामी / निविदा के अन्तर्गत आवंटियों द्वारा कतिपय मामलों में 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित अवधि से विलम्ब से जमा करने पर ब्याज सहित अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं अन्य प्रस्तावों में गुण दोष के आधार पर निर्णय किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।
8/139	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के निवासियों की सुविधा हेतु मदर डेयरी के मिल्क बूथ स्थापित कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । बोर्ड द्वारा प्रस्ताव में अंकित क्षेत्रों के अतिरिक्त मदर डेयरी के मिल्क बूथ स्थापित किये जाने हेतु भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव आते हैं तो भूमि लाईसेंस किराये पर आवंटित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।
9/139	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग व अनावासीय सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों पर अवशेष देय धनराशि की किस्तों का पुर्ननिर्धारण नयी ब्याज दरों के साथ किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।
10/139	राजस्व ग्राम ब्रहमपुर उर्फ भौपुरा के खसरा संख्या 215 की 2530 वर्ग मीटर अनार्जित भूमि के स्थान पर 50 प्रतिशत (1265 वर्ग मीटर) भूमि के समायोजन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

11/139	सुनियोजित विकास के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक भूमि को समझौते के आधार पर बैनामा द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में कय किये जाने हेतु प्रस्तावित नीति एवं प्रकिया के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
12/139	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कोयल इन्क्लेव आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि से संबंधित भू स्वामियों को 6 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
13/139	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित भूमि के अर्जन /पुर्नग्रहण की अद्यावधिक स्थिति ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया
14/139	गाजियाबाद सिटी क्लब समिति के पंजीयन हेतु बनाये गये नियम व शर्तो के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सिटी क्लब समिति में कौन कौन से लोग नामित किये जायें, का परीक्षण प्राधिकरण स्तर पर समिति गठित कर उसकी अनुशंसा पर उपाध्यक्ष स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

True Copy

(चकेश जैन)
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(51)

15/139	मधुबन बापूधाम योजना के निर्माणाधीन बहुमंजिले भवनों के मूल्य निर्धारण [illegible] भूमि दर आदि पर छूट के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव [illegible] किया गया ।
16/139	मधुबन बापूधाम आवासीय योजना कोड 772–41डी में निर्मित 5056 चार मंजिले ई0डब्लू0एस0 भवनों के कब्जा हेतु समय सीमा बढाये जाने एवं उक्त अवधि का चौकीदारा शुल्क न लिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
17/139	6–लेन हिण्डन एलीवेटिड रोड को TOD(TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT) के आधार पर EPC Mode पर कार्य कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
18/139	शासनादेश संख्या 1106 /9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक /2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं परं सूचना ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106 /9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक /2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया ।
19/139	गाजियाबाद में कियान्वित की जा रही हाईटैक/ इंटीग्रेटेड टाऊनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
20/139	ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी की खसरा संख्या 602, 540/2 व 543 मि0 के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

True Copy

अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

21/139	[illegible] आवासीय योजना के तलपट [illegible] में आंशिक संशोधन के संबंध		[illegible] विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव [illegible] किया गया ।
22/139	प्राधिकरण की योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों में मोबाईल टावर स्थापित किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । सील्ड निविदा/बिड की प्रकिया के बिन्दु संख्या (xliv) को रू0 10000.00 प्रति माह प्रतिमास्ट टावर निर्धारित समझा जाये ।
23/139	सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी शासनादेश संख्या 3188 /आठ–1–13–80विविधि /2010 दिनॉक 05–12–2013 में निर्धारित संशोधित नीति के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
24/139	प्रताप विहार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
25/139	दिल्ली–मेरठ कॉरीडोर (आर0 आर 0 टी0 एस0) परियोजना के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
26/139	वैशाली आवासीय योजना के सै0–3 में हाईस्कूल हेतु नियोजित भूखण्ड का पुर्न नियोजन किये जाने के फलस्वरूप तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । True Copy

(53)

27/139	खसरा सं0 527 /4 ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी पर निर्मित कॉलोनी इण्डिया मूल सिटी के मानचित्र स्वीकृति के समय देय बाह्य विकास शुल्क पर रोपित ब्याज की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
28/139	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना के सैक्टर–7 व 8 में स्थिति परिषद की भूमि का उपयोग मिश्रित उपयोग में परिवर्तित किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
29/139	कौशाम्बी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
30/139	दिलशाद गार्डन दिल्ली –नया बस अडडा, गाजियाबाद मैट्रो एलाईनमेंट के इन्फल्यूएन्श क्षेत्र के अन्तर्गत नये/अविकसित क्षेत्र हेतु निर्धारित एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
31/139	मधुबन बापूधाम योजना में मा0 उच्चतम न्यायालय के भू–अर्जन स्थगन आदेश के फलस्वरूप वैकल्पिक मार्गों के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

True Copy

चक्रेश जैन
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद

श्री [illegible] व्यास, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा शहर में इण्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(आर०पी० पाण्डेय)
कृते–सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(संतोष कुमार यादव)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
30/1

अनुमोदित

(संतोष कुमार यादव)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
30/1

True Copy

[illegible] जैन
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण